उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-06/2017/440/37-1-2017-05(129)/2010

लखनऊ: दिनाँक 23 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

शासन की विज्ञप्ति / अधिसूचना संख्या- 3548/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 28-07-2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या- 835/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 03-03-2011 द्वारा उ0प्र0 के समस्त जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर-7 एवं 8 के अंतर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या- 4542/37-1-2013, दिनांक 15-01-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कुल 65 जनपदों एवं कार्यालय आदेश संख्या- 534/37-1-2013, दिनांक 04-06-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 09 जनपदों की एस0पी0सी0ए0 की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया था।

2- तात्कालिक प्रभाव से विज्ञप्ति के प्रस्तर- 7 एवं 8 के अधीन हुये उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे

प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 06/2017/440(1)/37-1-2017 तदद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पो0बाक्स नं0- 8672, 13/थर्ड शीवार्ड रोड, वाल्मिकी नगर, थिरूवनमियूर, चेन्नई-600041

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा- निदेशक (प्रशासन एवं विकास, पशुपालन)।

4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक/ परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित जिला वन अधिकारी/ नगर निगम के नगर आयुक्त/ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ।

6- निदेशक (प्रशासन एवं विकास),/निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास पशुपालन)।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।